न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 95/2019/दावा 136 एलआरएक्ट

1. सुखाराम
2. गेपालराम } पुत्रगण स्व. कानाराम
3. मोहनलाल

4. केशरदेवी
5. मगनीदेवी } पुत्रिया स्व. कानाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण जालूण्ड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
–वादीगण

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत एवं रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री सी.एम.शर्मा वकील वादीगण की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक – 19.01.2021

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम बाय पटवार हल्का बाय तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। जो वादीगण की पैत्रिक भूमि है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/4 है तथा रणजीतसिंह पुत्र घीसाराम हिस्सा 1/4 सोहनलाल, शिवपाल, मालीराम, सुवालाल पुत्रगण रूपाराम सोनीदेवी बेवा रूपाराम हिस्सा 1/4 है। हरदेवाराम बिजड़ाराम खेमा मंगला पिता रूपाराम हिस्सा 1/4 दर्ज है। सहखातेदारो के 3/4 हिस्से बाबत कोई विवाद नहीं है। इसलिए मुकदमा पक्षकार नहीं बनाया गया है केवल कानाराम पुत्र भानाराम के 1/4 हिस्से पर ही दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वादीगण के दादा का नाम ज्ञानाराम उर्फ भानाराम निवासी जालूण्ड एक ही व्यक्ति है तथा राजस्व रिकार्ड में

भानाराम अंकित है जबकि अन्य रिकार्ड में ज्ञानाराम दर्ज है। ग्राम जालूण्ड में भानाराम के नाम का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। ज्ञानाराम को ही भानाराम के नाम से ही पुकारते थे। इसलिए राजस्व रिकार्ड में सहवन से भानाराम नाम दर्ज है जिसको दुरूस्त कर ज्ञानाराम किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। वादीगण ने दिनांक 22.06.2019 को कृषि ऋण लेने के लिए पटवारी से रिकार्ड प्राप्त किया तो पता चला कि वादीगण की भूमि भानाराम के नाम से दर्ज है तथा नामान्तकरण करवाने हेतु पटवारी व ग्राम पंचायत में कार्यवाही की तो पंचायत व पटवारी ने बताया कि आप के दादा का नाम ज्ञानाराम की जगह भानाराम रिकार्ड में अंकित है इसलिए नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम बाय पटवार हल्का बाय तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादीगण के दादाजी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम भानाराम के स्थान पर वादीगण के दादाजी का सही व वास्तिविक नाम ज्ञानाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीगण के दादाजी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम भानाराम के स्थान पर वादीगण के दादाजी का सही व वास्तिविक नाम ज्ञानाराम दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम बाय की जमाबंदी सं. 2077 के अनुसार आवेदक खसरा नम्बर 116 रकबा 2.00 है0 में कानाराम पुत्र भानाराम हिस्सा 1/4 जाति जाट दर्ज है। पूर्व से ही कानाराम के पिताजी का नाम भानाराम चला आ रहा है जो सहवन से दर्ज हो गया था। जबकि सभी आवश्यक दस्तावेजों में कानाराम के पिताजी का नाम ज्ञानाराम है मौके पर पुछताछ करने पर भी पता चला कि कानाराम के पिताजी का नाम भानाराम ना होकर सही नाम ज्ञानाराम है। ज्ञानाराम को बोलचाल की भाषा में भानाराम भी बोला जाता था। अतः कानाराम पुत्र ज्ञानाराम उर्फ भानाराम की शुद्धि किया जाना उचित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीगण का दावा उद्घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है** तथा भूमि खसरा नम्बर 116 रकबा 2.00 है0 वाके ग्राम बाय पटवार हल्का बाय तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादीगण के दादाजी का नाम भानाराम के स्थान पर वादीगण के दादाजी का सही व वास्तविक नाम भानाराम उर्फ ज्ञानाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाह डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ